to (c) According to available information 40 blasts were caused by terrorists in Jammu province during 1991 as a part of their terrorist and subversive activities, in which over 10 persons were killed and about 200 persons injured. The payment of *ex-gratia* assistance is governed by the Govt, of Jammu and Kashmir's Order No. 723-GR (GAD) of 1990, dt. 10-7-90.

Detenus under PSA in J and K

265. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the names of detenus held under PSA of Jammu and Kashmir and since when ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Information is awaited from the Government of Jammu and Kashmir.

Filling up of Group 'D' Posts in Delhi Administration

266. SHRI DHULESHWAR MEENA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 54 given in the Rajya Sabha to the 20th November, 1991 and state :

(a) whether it is a fact that action to fill up the Group 'D' vacant posts in various departments of Delhi Administration are still pending; and

(b) if so, when the process of recruitment/formalities for the posts is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JAKOB): (a) and (b) The information is being collected and wil be laid on the Table of the House.

Bomb Blast In Delhi

267. SHRI RAM NARESH YA DAV: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Bomb blast took place in a bus in Delhi on the 29th January, 1992;

(b) if so, the number of persons killed /injured as a result thereof; and

(c) whether any inquiry has been conducted into the matter; if so, the findings thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTRY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JALOB): (a) Yes, Sir.

(b) One person was killed and thirty two were injured.

(c) A case FIR No. 27 dated 29-1-92 u/s 302/307/427/34 IPC, 3/4/5 TADA(P) Act & 3/4/5 Explosive Substances Act has been registered at police Station Timarpur, Delhi.

झारखंड राज्य का बनाया जाना

268. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार झारखंड राज्य बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ;

(ख) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और झारखंड के नेताओं के बीच कोई बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जकब) : (क) से (ग) सभी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् झारखंड राज्य का गठन करने के बारे में कोई निणय लिए जाने के बाद ही इस दिशा मे प्रश्न केन्द्र सरकार द्वारा ठोस कदम उठाने का प्रश्न पैदा होगा । केन्द्रीय गृह मंत्री ने 18 फरवरी, 1992 को बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों के साथ इस विषय पर चर्चा की है ।

असैनिक प्रयोजनों के लिए सेना की मदद

269. श्री शंकर दयाल सिंह :
श्री भुवनेश चतुर्वेदी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान देश में कितनी बार असैनिक प्रयोजनों के लिये सेना की मदद ली गई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार देश में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सेना के अत्यधिक प्रयोग को उचित नहीं मानती है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Human Right Commission

270. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI MEERA DAS:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Human Rights Commission; and

(b) if so, the details in this regard and by when a legislation is likely to be enacted in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (b) The question of setting up a Human Rights Commission is understudy of the Government of India.

राज्यों के पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाया जाना

271. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिये संबंधित राज्यों के पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाये जाने का विचार रखती है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में किसी राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ऐसी कोई कार्य योजना प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां तो सरकार इस कार्य योजना को लागू करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक सहायता कब तक प्रदान करने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) तारीख 3 अगस्त 1991 को गृह मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया । इस बैठक में हुये विचार-विमर्श में अन्य बातों के साथ साथ यह सहमति हुई कि राज्य सरकारें कार्रवाई योजनायें तैयार करेंगी जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाये रखने संबंधी उपाय तथा विकासात्मक उपाय शामिल होंगे जो इस समस्या को हल करने के लिये आवश्यक हैं । नक्सलवाद विरोधी अभियान तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन संबंधी पर्यवेक्षण करने के लिये प्रभावित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त समन्वयन समिति (सं०स०स०) गठित की गई है प्रभावित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कार्रवाई योजनाओं की संयुक्त समन्वयन समिति अपनी बैठकों में जांच करेगी और उसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी 8वीं योजना प्रस्तावों में उन्हें शामिल करेगी । योजना आयोग राज्यों की योजनाओं को अंतिम रूप देते समय केन्द्रीय सहायता के अनुमोदित फार्मूले के अन्तर्गत इन प्रस्तावों पर अनुकूल दृष्टि से विचार करेगा । केन्द्र सरकार इन प्रभावित राज्यों को, आवश्यकता पड़ने पर अर्धसैनिक बलों की तैनातगी सहित सभी संभव सहायता दे रही है ।